राजस्व अपील संख्या 525/2022

अनवान

धन्नाराम वगैराह बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, लूणी

दिनांक 06–10–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2018 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 19.02.2018 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार, लूणी को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करे, मौका जॉच/मौका फर्द एवं मौका नक्शा तैयार करे। तदनुसार पक्षकारान की सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया जावें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर